मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 207
03.02.2025 को उत्तर के लिए

अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी

207. श्री चंदन चौहानः
श्री सतपाल ब्रह्मचारीः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा घोषित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की निगरानी और विनियमन के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से झारखंड राज्य में और हरियाणा राज्य में सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जीपीआई की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त उद्योगों द्वारा जल निकायों में अपशिष्ट के प्रवाहित किए जाने को रोकने और खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर झारखंड और हरियाणा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से देश भर में औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करता है। गंगा और यमुना के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, हरियाणा, एनसीटी-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संचालित होने वाले अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई), जो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में विसर्जन की संभावना रखते हैं, का वार्षिक निरीक्षण, आईआईटी, एनआईटी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) जैसे तृतीयक पक्ष के तकनीकी संस्थानों के संयुक्त दलों द्वारा किया जाता है।

गंगा के मुख्य प्रवाह वाले राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2017 में 1109 जीपीआई, वर्ष 2018 में 961 जीपीआई, वर्ष 2019 में 1072 जीपीआई, वर्ष 2020 में 1080 जीपीआई, वर्ष 2022 में 1051 जीपीआई और वर्ष 2023 में 1229 जीपीआई का निरीक्षण किया गया था।

यमुना और उसकी सहायक नदियों वाले राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में वर्ष 2020 में 1660 जीपीआई, वर्ष 2022 में 1655 जीपीआई और वर्ष 2023 में 1957 जीपीआई का निरीक्षण किया गया।

(ग) : वर्ष 2023 के दौरान झारखंड राज्य में 05 जीपीआई और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला सोनीपत-129, जिला जींद-03) में 132 जीपीआई का निरीक्षण किया गया था।

i. झारखंड में, 05 में से 02 जीपीआई अनुपालन कर रहे थे और 03 विसर्जन संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे या उनके पास संचालन के लिए वैध सहमति नहीं थी। सभी उल्लघंन करने वाले जीपीआई को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में जेएसपीसीबी द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान उनके अनुपालन के बाद वापस ले लिया गया था। इन जीपीआई से अनुमानित विसर्जन लगभग 523 केएलडी था, जिसमें बीओडी के संदर्भ में प्रदूषण भार 5.23 किलोग्राम/दिन का था।

ii. हरियाणा के सोनीपत और जींद जिलों के क्षेत्र को शामिल करते हुए सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, 132 जीपीआई में से 113 जीपीआई प्रचालनरत थे और शेष 19 स्वत: बंद हो गए थे। 113 प्रचालनरत जीपीआई में से 97 अनुपालन कर रहे थे और 16 विसर्जन संबंधी मानदंडों (12) और/या संचालन के लिए वैध सहमति नहीं होने (4) के संबंध में उल्लंघन कर रहे थे। उल्लंघन करने वाले सभी 16 जीपीआई को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में एचएसपीसीबी द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान उनके अनुपालन के बाद वापस ले लिया गया था। स्वत: बंद जीपीआई को एचएसपीसीबी द्वारा बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। 113 चालू जीपीआई से अनुमानित विसर्जन लगभग 7.35 एमएलडी था जिसमें बीओडी के संदर्भ में प्रदूषण भार 0.69 टीपीडी था।

(घ) : जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं।

i. भारत सरकार ने जल निकायों सहित पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया।

ii. पल्प एवं पेपर, चीनी, डिस्टिलरी, टेक्सटाइल और टेनरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट शोधन संयंत्र प्रणाली के उन्नयन के एक स्वैच्छिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ जल की खपत, अपशिष्ट जल विसर्जन और प्रदूषण में कमी आई और अनुपालन की स्थिति में सुधार हुआ।

iii. नवीन और सिद्ध स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, विशिष्ट स्वच्छ जल की खपत और अपशिष्ट विसर्जन मानदंडों को शामिल करते हुए मॉडल समेकित सहमति और प्राधिकरण (सीसीए) को गंगा और यमुना मुख्य प्रवाह वाले सात राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

iv. सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देश में 17 श्रेणियों के उद्योगों और जीपीआई द्वारा ऑनलाइन सतत बहि:स्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना की गई है। यह पहल बहि:स्त्राव गुणवत्ता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है, जिससे उल्लंघनकर्ता इकाइयों की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन में मदद मिलती है।

v. सीपीसीबी ने सिंचाई में शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए दिशा-निर्देशों के साथ-साथ व्यवहार्य औद्योगिक क्षेत्रों में संरक्षण और शून्य विसर्जन (जेडएलडी) के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। शुद्ध जल पर निर्भरता कम करने, संधारणीयता बढ़ाने और प्रभावी जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में शोधित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है।

vi. वर्ष 2018 में अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) के पुनरूध्दार के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण प्रमुख सचिव के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के तहत संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरूध्दार समिति (आरआरसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गईं, ताकि सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी <3 मिलीग्राम/एल और एफसी <500 एमपीएन/100 एमएल) बनाया जा सके।

vii. स्रोत नियंत्रण (नगर सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी जलग्रहण/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शोधित सीवेज का उपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ मैदान क्षेत्र संरक्षण और उसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिकी/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और वाटरशेड प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए कार्य योजनाएं तैयार की गईं।

*****